

Minister (Administrative Reforms)

Additional Chief Secretary AR

Joint Secretary AR (Gr-1)

Deputy Secretary AR (Gr-2)

1. सचिवों की समिति (CoS) की बैठकें आयोजित करना।
2. सचिवों की बैठकें आयोजित करना।
3. खण्ड आयुक्तों की बैठकें आयोजित करना।
4. मुख्य सचिवों के सम्मेलन में किये गये विनिश्चय का क्रियान्वयन।
5. प्रशासनिक सुधारों के संबंध में समितियों और आयोगों की सिफारिशों का क्रियान्वयन।
6. सचिवालय नियमावली, कार्यालय प्रक्रिया और पद्धति में सुधार।
7. स्थानान्तरण नीति।
8. अधीनस्थ कार्यालयों में संगठन और पद्धति में सुधार।
9. प्रशासनिक सुधारों के संबंध में केन्द्र और अन्य राज्यों के साथ संपर्क।
10. अन्य प्रशासनिक विभागों के साथ समन्वय।
11. प्रशासन में तत्परता और दक्षता।
12. जिला कलेक्टर कॉन्फ्रेंस का आयोजन एवं निर्णयों की क्रियान्विति
13. सांसदों/विधायकों के पत्रों पर कार्रवाई एवं निस्तारण से संबंधित निर्देश
14. अप्रचलित अधिनियमों/नियमों के निरसन से संबंधित कार्य
15. भारत सरकार नीति आयोग/उत्तर क्षेत्रीय परिषद से संबंधित कार्य
16. सीएमआई, राजस्थान संपर्क पोर्टल/प्रशासनिक सुधार की वैबसाइट कार्य
17. जिला कलेक्टरों की जन सुनवाई/निरीक्षण आदि से संबंधित कार्य
18. जिला प्रभारी सचिवों की नियुक्ति एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
19. नया सुशासन अधिनियम (Good Governance Act)
20. एचसीएम शीपा/केन्द्र व अन्य राज्य सरकारों में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण/सेमिनार इत्यादि में प्रशिक्षण हेतु कार्मिक/अधिकारीगण को मनोनीत करना
21. सरकार आपके द्वार एवं जन सुनवाई कार्यक्रम
22. केन्द्र सरकार से समय समय पर प्राप्त नवाचार/
23. ई-गवर्नेन्स/सिविल सर्विस डे संबंधी कार्य
24. वीडियो कॉन्फ्रेंस

1. विभागाध्यक्षों की विभागीय नियमावलियाँ।
2. जिला नियमावली और उसमें संशोधन
3. कार्यालय प्रक्रिया की पुस्तिका और उसमें संशोधन।
4. विभागाध्यक्षों और क्षेत्रीय कार्यालयों से निरीक्षण और दौरों का विवरण।
5. कलेक्टरों के दौरों/निरीक्षणों और महत्वपूर्ण घटना का मासिक विवरण।
6. बीस सूत्री कार्यक्रम के बीसवें सूत्र का क्रियान्वयन।
7. विधानसभा कार्य-विधानसभा प्रश्नों और उससे सहबद्ध कार्यों का अनुगमन।

Joint Secretary AR (Gr-3)

1. राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय समिति का गठन/विस्तार/भंग और पुनः प्रभावीकरण।
2. समस्त विभागाध्यक्षों से कनिष्ठ लिपिकों/आशु लिपिक ग्रेड-II / ग्रेड-I के संबंध में रिक्तियों का संकलन और भर्ती के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग को अध्यक्षता भेजना।
3. राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से कनिष्ठ लिपिकों और आशुलिपिकों का चयन और भर्ती के लिए विभिन्न विभागों को आवंटन।
4. संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग इत्यादी की ओर से परीक्षाएं और अन्य परीक्षाएं संचालित करने के लिए इन्तजाम।

Special Secretary AR (Gr-4)

1. सचिवालय और सचिवालय परिसर में स्थित अन्य विभागाध्यक्षों के सम्बन्ध में उपस्थिति की जाँच।
2. जयपुर में और जिला स्तर पर स्थित समस्त विभागाध्यक्षों और क्षेत्रिय कार्यालयों स्वायत्तशासी निकायों का आकस्मिक निरीक्षण।

Deputy Secretary AR (Gr-4)

1. सचिवालय अभिलेखों का परिरक्षण
2. फाईल की छंटाई।
3. सचिवालय के समस्त विभागों के फाईल शीर्षों का अनुमोदन।

Deputy Secretary AR (Gr-5)

1. सचिवालय अभिलेखों का परिरक्षण
2. फाईल की छंटाई।
3. सचिवालय के समस्त विभागों के फाईल शीर्षों का अनुमोदन।
4. अभिलेखागार को अन्तरित की जाने वाली फाईलों की सूची।
5. सचिवालय अभिलेखों का परिरक्षण
- (i) फाईल की छंटाई।
- (ii) सचिवालय के समस्त विभागों के फाईल शीर्षों का अनुमोदन।
- (ii) अभिलेखागार को अन्तरित की जाने वाली फाईलों की सूची।
- (iv) सचिवालय अभिलेखों का परिरक्षण
- (v) फाईल की छंटाई।
6. सचिवालय के समस्त विभागों के फाईल शीर्षों का अनुमोदन।
7. अभिलेखागार को अन्तरित की जाने वाली फाईलों की सूची।

Deputy Secretary AR (Gr-6)

Deputy Secretary AR (Gr-7)

- 1.रा.से.नि. और सा.वि. और ले.नि. का संहिताकरण और प्रकाशन।
- 2.महत्वपूर्ण आदेशों/परिपत्रों का संकलन करना और त्रैमासिक संग्रह जारी करना।
- 3.राज्य सेवा के अधिकारियों की सिविल सूची जारी करने के क्रम में समस्त प्रशासनिक विभागों के साथ पत्राचार।

Deputy Secretary AR (Times)

- 1.आमजन की समस्याओं की सुनवाई कर उनके त्वरित समाधान व निराकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा नागरिकों के सुशासन उपलब्ध कराने की दृष्टि से जिला स्तरीय अधिकारी से लेकर जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, विभागाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी सचिवगण के दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम के मानदण्ड निर्धारित करवाकर राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम एवं प्रतिमाह प्राप्त हो रही क्रियान्विति की मॉनिटरिंग का कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

Deputy Secretary AR (RTI)

- 1.सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित कार्य

Director Public Services

- 1.राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 से संबंधित कार्य
- 2.राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 से संबंधित समस्त कार्य
- 3.राज्य सरकार द्वारा आयोजित जन सुनवाई से संबंधित कार्य
- 4.राजस्थान संपर्क पोर्टल से संबंधित कार्य